

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/7903-यू/एफ.28267/2024/589 दिनांक : 22/05/24

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री उमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण मुख्यालय, जयपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.04.2022 है को दो वर्ष की परिवीक्षा काल अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने पर दिनांक 20.04.2024 से 20800 (लेवल-5) वेतन नियतन करते हुये नियुक्ति तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

इनके द्वारा आरएससीआईटी कम्प्यूटर योग्यता दिनांक 03.10.2017 एवं टंकण परीक्षा दिनांक 12.01.2024 को उत्तीर्ण करली गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/7903-यू/एफ.28267/2024/589 दिनांक : 22/05/24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण मुख्यालय, जयपुर ।
2. प्रमारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. संबंधित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7289328

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 05:56:45